अध्याय -VI

अन्य कर प्राप्तियाँ

कार्यकारी सारांश

इस अध्याय में हमने जिन विशिष्टताओं को उद्घटित किया है	इस अध्याय में हम वर्ष 2011-12 के दौरान जिला अवर निबंधक तथा उपायुक्त वाणिज्य कर के कार्यालयों के मुद्रांक एवं निबंधन फीस तथा विद्युत पर कर एवं शुल्क से सबंधित दस्तावेजों की हमारी नमूना जाँच के दौरान पाये गये आपत्तियों में से चयनित ₹ 3.69 करोड़ के मामले को उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत करते हैं जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। यह एक चिन्ता का विषय है कि हमारे द्वारा पिछले कई वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समान कमियों को अनेक बार बताया गया है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।
कर संग्रहण में सीमांत वृद्धि	वर्ष 2011-12 में मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के संग्रहण में पिछले वर्ष की तुलना में 22.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो विभाग द्वारा संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का होना बताया गया। हमारा यह मानना है कि विभाग को अपने बजट प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने की आवश्यकता है क्योंकि संशोधित बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में अधिक विचलन निरंतर रूप से जानकारी में आयी। 2011-12 में विद्युत पर कर एवं शुल्क के संग्रहण में पिछले वर्ष की तुलना में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो विभाग द्वारा जून 2011 से प्रभावी विद्युत शुल्क की दर में वृद्धि को बताया।
आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन नहीं किया जाना	विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना से सबंधित कोई सूचना हमें नहीं दी गयी, यद्यपि माँग की गई थी। तदन्तर, वित्त विभाग द्वारा इस अवधि में लेखापरीक्षा का संचालन नहीं किया गया।
राजस्व के बकाये का विश्लेषण	पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व के बकाये वस्तुतः स्थिर रही। विभाग ने वर्ष के दौरान बकाये में बढ़ोत्तरी एवं वसूली के साथ पाँच वर्षों से अधिक अवधि के लंबित बकाये के सबंध में सूचना प्रस्तुत नहीं की। विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार जब्ती एवं रेफर्ड मामलों में बकाये की कुल वसूली की राशि ₹ 1.57 करोड़, आवेदनों की समीक्षा/सुधार के कारण स्थगित रखा गया था।
हमारे द्वारा 2011-12 में संचालित लेखापरीक्षा के परिणाम	वर्ष 2011-12 में हमने मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस एवं विद्युत पर कर एवं शुल्क से सबंधित दस्तावेजों की नमूना जाँच की एवं 1,335 मामलों में शुल्क, फीस आदि में सन्निहित ₹ 8.74 करोड़ की राशि का नहीं/कम वसूली का पता चला। वर्ष 2011-12 के दौरान 862 मामलों में सन्निहित ₹ 3.69 करोड़ के लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया।
हमारा निष्कर्ष	**विभाग को आंतरिक लेखापरीक्षा की व्यवस्था करने सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुधार करने की आवश्यकता है जिससे कि प्रणाली की कमियों को दूर किया जा सके और हमारे द्वारा उद्भेदित चूक की प्रकृति से भविष्य में बचा जा सके। विभाग को संग्रहण की लागत को कम करने की आवश्यकता है क्योंकि संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता 2007-12 की अवधि में अखिल भारतीय औसत की तुलना में बहुत अधिक था।** **हमारे द्वारा इंगित किये गये करों का अनुदग्रहण, कम कर आरोपण आदि की वसूली के लिए विशेषकर उन मामलों में जहाँ हमारे मंतव्य को स्वीकार कर लिया है, त्वरित कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है।**

अध्याय - VI: अन्य कर प्राप्तियाँ

अ. मुद्रांक एवं निबंधन फीस

6.1 कर प्रशासन

भारतीय मुद्रांक (भा.मु.) अधिनियम, 1899 तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों एवं निबंधन अधिनियम,1908 के द्वारा राज्य में मुद्रांक शुल्क एवं निबधंन फीस का आरोपण एवं संग्रहण शासित होता है। 15 नवम्बर 2000 को झारखण्ड राज्य बनने पर पूर्ववर्ती राज्य बिहार में विद्यमान अधिनियम, नियम एवं कार्यपालक अनुदेशों को झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत किया गया।

शीर्ष स्तर पर महानिरीक्षक निबंधन (म.नि.), झारखण्ड राज्य में अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन के लिये उत्तरदायी हैं। वे एक उप सचिव, मुख्यालय स्तर पर, एक सहायक निबंधन महानिरीक्षक, एक निबंधन निरीक्षक, 24 जिला अवर निबंधक (जि.अ.नि.)[1] और आठ अवर निबंधक (अ.नि.)[2] द्वारा सहायता प्राप्त करते हैं। निबंधन निरीक्षक राज्य के सभी पाँच[3] प्रमंडलों में निरीक्षण हेतु उत्तरदायी हैं, जबकि जि.अ.नि. एवं अ.नि. जो प्राथमिक इकाईयों में भा.मु. अधिनियम एवं निबंधन अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक एवं निबंधन फीस के आरोपण एवं संग्रहण के प्रति उत्तरदायी हैं।

6.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

बिहार वित्तीय नियमावली, खण्ड-I (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) प्रावधानों के अनुसार राजस्व प्राप्तियों का बजट प्राक्कलन तैयार करने हेतु वित्त विभाग उत्तरदायी है। यद्यपि, बजट प्राक्कलनों के लिए आँकड़े संबंधित प्रशासनिक विभागों से प्राप्त किये जाते हैं जो आँकड़ों की सत्यता के प्रति उत्तरदायी है। विचलन राजस्व के मामलों में प्राक्कलन विगत तीन वर्षों में प्राप्त राजस्व की तुलना पर आधारित होना चाहिए।

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान मुद्रांक एवं निबंधन फीस के पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक प्राप्तियों के साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों को नीचे दिए गए सारणी एवं चार्ट में दर्शाया गया है:

---

1 बोकारो, चतरा, चाईबासा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, कोडरमा, खूँटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, राँची, रामगढ़, साहेबगंज, सिमडेगा और सरायकेला।

2 बरही, चक्रधरपुर, घाटशिला, हुसैनाबाद, जमुआ, नगरउंटारी, राजधनवार और तेनुघाट।

3 दुमका, कोल्हान,उत्तरी छोटानागपुर, पलामू तथा दक्षिणी छोटानागपुर।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	विचलन आधिक्य (+)/ कमी (-)	विचलन की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशतता
2007-08	108.11	156.26	(+) 48.15	(+) 44.54	3,473.55	4.50
2008-09	372.61	192.16	(-) 180.45	(-) 48.43	3,753.21	5.12
2009-10	350.00	238.20	(-) 111.80	(-) 31.94	4,500.12	5.29
2010-11	302.50	328.35	(+) 25.85	(+) 8.55	5,716.63	5.74
2011-12	450.00	401.17	(-) 48.83	(-) 10.85	6,953.89	5.77

स्त्रोतः 2010-11 के वित्त लेखे एवं झारखण्ड सरकार के 2012-13 के राजस्व एवं प्राप्तियाँ के विवरणी के अनुसार पुनरीक्षित प्राक्कलन।

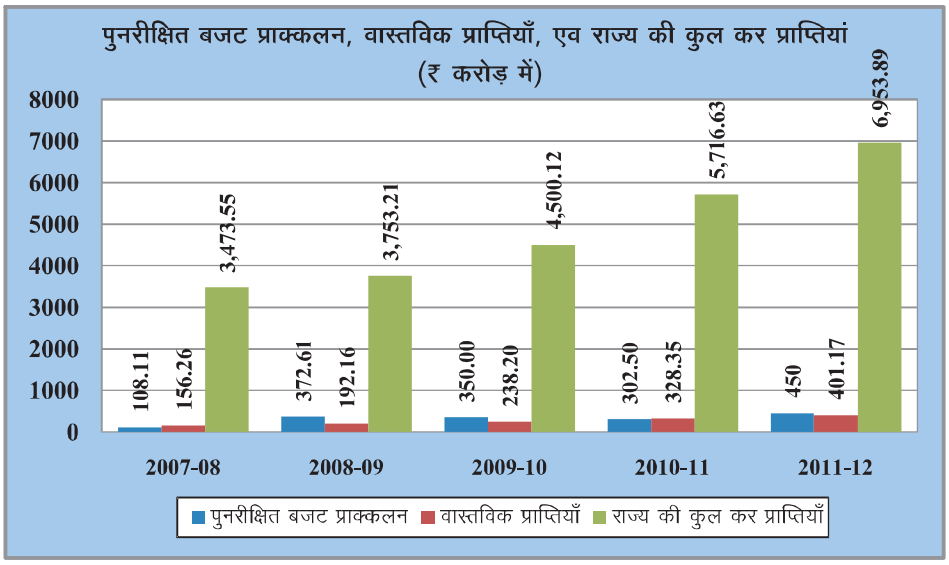

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक प्राप्तियों के बीच विचलन बहुत ज्यादा थी। 2007-08 के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन से 45 प्रतिशत अधिक तथा 2008-09 में यह पुनरीक्षित प्राक्कलन से 48 प्रतिशत कम थी। हमारे पूछताछ में वित्त विभाग ने (अक्टूबर 2012) बताया कि संबंधित प्रशासनिक विभाग से विस्तृत विचार विमर्श एवं विगत तीन वर्षों के वास्तविक प्राप्तियों के औसत के आधार पर बजट नियत किये जाते हैं। तथापि, हमने पाया कि 2011-12 में पुनरीक्षित प्राक्कलन की वास्तविक प्राप्तियों के विगत तीन वर्षों के औसत के आधार पर तुलना किये जाने पर यह 78 प्रतिशत अधिक था। यह इंगित करता है कि बजट नियमावली के प्रावधानों के अनुसार बजट प्राक्कलन वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किए गये थे। विभाग ने 2011-12 के दौरान बजट प्राक्कलन की तुलना में प्राप्तियों में कमी का कारण निबंधन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की कम संख्या को बताया।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग को अपने बजट बनाने की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने की आवश्यकता है क्योंकि पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक प्राप्तियों में निरंतर अत्यधिक विचलन देखे गये।

6.3 संग्रहण की लागत

मुद्रांक एवं निबंधन फीस के सकल संग्रहण, इनके संग्रहण पर किये गये व्यय एवं वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान सकल संग्रहण पर इस व्यय की प्रतिशतता के साथ पूर्ववर्ती वर्षों का अखिल भारतीय औसत नीचे दिये गये तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर किये गए व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	पूर्ववर्ती वर्षों का अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2007-08	156.26	7.81	5.00	2.33
2008-09	192.16	9.91	5.16	2.09
2009-10	238.20	10.98	4.61	2.77
2010-11	328.35	15.39	4.69	2.47
2011-12	401.17	11.34	2.83	1.60

स्त्रोतः झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

उपर्युक्त तालिका यह इंगित करता है कि प्रत्येक वर्ष मुद्रांक एवं निबंधन फीस के संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत की तुलना में अधिक थी यद्यपि 2011-12 में गिरावट की प्रवृति को दर्शाती है, जो उत्साहित करने वाला है।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार संग्रहण के उच्च लागत पर विचार करे एवं आगे इसे अखिल भारतीय औसत के स्तर तक कम करने हेतु कदम उठाये।

6.4 आन्तरिक अंकेक्षण शाखा के कार्यकलाप

विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना के संबध में कोई सूचना हमें नहीं दी गयी, यद्यपि माँगी गई थी (जून 2012)। तदन्तर, वित्त विभाग द्वारा भी 2011-12 में निबंधन विभाग का लेखापरीक्षा का संचालन नहीं किया गया था।

6.5 बकाये राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को बकाया राजस्व ₹ 1.57 करोड़ था। वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान बकाये राजस्व की वर्ष-वार स्थिति निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाये का प्रारंभिक शेष	बकाये का अंतिम शेष
2007-08	1.42	1.63
2008-09	1.63	1.45
2009-10	1.45	1.53
2010-11	1.53	1.57
2011-12	1.57	1.57

स्त्रोतः निबंधन विभाग द्वारा दी गयी सूचना

विभाग ने वर्ष के दौरान बकाये के परिवर्धन एवं निष्पादन के संबध में सूचना नहीं दी। विभाग द्वारा दी गयी सूचना (सितम्बर 2012) के अनुसार जब्त एवं रेफर्ड मामलों में ₹ 1.57 करोड़ की कुल बकाया राशि की वसूली, आवेदनों के सुधार/समीक्षा के कारण स्थगित रहा।

6.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011-12 में मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस से संबंधित 13 इकाईयों के नमूना जाँच में 1,325 मामलों में ₹ 2.02 करोड़ के शुल्क का नहीं/कम आरोपण का पता चला जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण अल्पारोपण	1	0.40
2	संशोधित दर के विलम्ब से प्राप्ति के कारण मुद्रांक एवं रजिस्ट्रेशन फीस की कम वसूली	1	0.002
3	जब्त एवं रेफर्ड मामलों का निपटारा नहीं करने के कारण सरकारी राजस्व का अवरोधन	85	18.49
4	अन्य मामले	1,238	183.43
कुल		**1,325**	**202.32**

वर्ष के दौरान हमारे द्वारा 2011-12 में इंगित किये गए ₹ 1.70 करोड़ के 858 मामलों में मुद्रांक एवं निबंधन फीस का अवनिर्धारण एवं अर्थदण्ड को विभाग ने स्वीकार किया।

इस अध्याय में हम ₹ 1.70 करोड़ के वसूलनीय वित्तीय प्रभावों के पट्टा दस्तावेज के निष्पादन नहीं किये जाने का एक मामला प्रस्तुत करते हैं।

लेखापरीक्षा अवलोकन

6.7 अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं होना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 तथा भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन प्रावधान है:

i) निष्पादकों द्वारा निर्धारित दर पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान;

ii) निर्धारित दर पर निबंधन शुल्क का भुगतान; एवं

iii) निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज का निबंधन।

हमने पाया कि निबंधन विभाग ने अधिनियम/नियमावली के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किया जो नीचे वर्णित हैः

6.8 पट्टे दस्तावेजों का निष्पादन नहीं होना

निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 17 (1) (डी) के अंतर्गत एक वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिए अचल संपत्ति के पट्टों को इसके निष्पादन की तिथि से चार मास के अंदर अनिवार्य रूप से निबंधन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। मुद्रांक शुल्क भारतीय मुद्रांक अधिनियम के धारा 3 के अनुसूची-I ए के अनुसार प्रभार्य है तथा निबंधन फीस समय-समय पर झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित फीस की सारणी के अनुसार प्रभार्य है। तदन्तर, बिहार निबंधन नियमावली, 1937 (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) के नियम 47 के अनुसार यदि दस्तावजों को इनके निष्पादन के चार मास बाद निबंधन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो निबंधक, इस प्रकार के दस्तावेजों को निबंधित करना चाहिए, यह निर्णय करने के बाद संबंधित जिला अवर निबंधक को जुर्माना, निबंधन फीस के 10 गुंणा से अधिक नहीं जैसा कि निबंधन अधिनियम, 1908 के धारा 25 या धारा 34 के अन्तर्गत निर्धारित है, के भुगतान के बाद दस्तावेजों को निबंधन करने के लिए निर्देश दे सकता है।

हमने 20 मोबाईल सेवा प्रदाताओं[4] के सबंध में झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची से सूचना प्राप्त किया (सितम्बर से दिसम्बर 2011) एवं पाया कि वर्ष 2007-08 एवं 2011-12 में पाँच जिलों[5] में 858 मोबाईल टावरों की स्थापना हेतु इन कंपनियों द्वारा भूमि/भवन मालिकों के साथ 4 वर्ष 11 माह से 20 वर्षों

[4] वायरलेस टी.टी. इन्फोसर्विसेज लिमिटेड, आदित्य बिरला टेलीकॉम लिमिटेड,आइडिया सेल्यूलर इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड, आइडिया सेल्यूलर इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड, क्वीपो टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारती इन्फ्रेट लिमिटेड, एस्सार टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ए.टी.सी. टॉवर कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डिशनेट वायरलेस, जी.टी.एल. इन्फ्रा लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड, सिसटेमा श्याम टेली सर्विसेज लिमिटेड, टावर विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एस्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, वोडाफोन इस्सार स्पेसटेल लिमिटेड, भारती सेल्यूलर, एक्सेल टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, ए.टी.सी. इंडिया टॉवर कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड और इंडिया टेलीकॉम इन्फ्रा लिमिटेड।

[5] बोकारो, देवघर, धनबाद, जमशेदपुर तथा राँची।

की अवधि के लिए वार्षिक किराया के रूप में एक सौ रूपये से अधिक के भुगतान पर पट्टा का एकरारनामा किया। इस सूचना को हमने सबंधित जिला अवर निबंधक (जि.अ.नि.) के अभिलेखों के साथ तिर्यक जाँच किया और पाया कि पट्टा दस्तावेजों के निबंधन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था यद्यपि पट्टा दस्तावेजों को निबंधन अधिनियम के अंतर्गत इसे निष्पादन की तिथि से चार माह के अंदर निबंधित करना आवश्यक था। इस प्रकार, निबंधन विभाग एवं अन्य विभागों, स्थानीय निकाय, प्राधिकार इत्यादि के बीच सूचना के तिर्यक जाँच के लिए तंत्र के अभाव के कारण सरकार मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के रूप में ₹ 56.28 लाख[6] के राजस्व से वंचित रही। इसके अतिरिक्त, अधिकतम जुर्माना ₹ 1.14 करोड़ भी आरोप्य था क्योंकि दस्तावेजों को निर्धारित अवधि के अंदर निबंधन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

हमारे द्वारा मामले को जनवरी एवं मार्च 2012 के बीच बताये जाने पर, सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार किया (सितम्बर 2012) और कहा कि सबंधित विभागों से अनुरोध किया गया है कि 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' निर्गत करने से पूर्व निबंधन हेतु पट्टा दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित कर लिया जाय। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2013)।

हम अनुशंसा करते है कि सरकार एक तंत्र विकसित करने पर विचार कर सकती है, जिसमें सूचना का अर्न्तविभागीय आदान-प्रदान हो एवं सुनिश्चित करें कि दस्तावेज जिसको निबंधित कराना आवश्यक है, निर्धारित समय सीमा में निबंधन हेतु प्रस्तुत किया जा सके।

6

(राशि ₹ में)

जि.अ. नि. कार्यालय का नाम	निष्पादित संविदा की संख्या	अवधि	प्रतिफल मूल्य	मुद्रांक शुल्क की दर	आरोप्य मुद्रांक शुल्क	निबंधन फीस की दर 17.5.11- तक 1% एवं 18.5.11 से - 3%	आरोप्य निबंधन फीस	कुल
जि.अ.नि. राँची	11	11/ 2007 से 04/ 2010	764400	3%	22932	1%	7644	30576
	224	05/2007 से 03/ 2011	36672000	4%	1466880	1%	366720	1833600
जि.अ.नि. बोकारो	20	09/ 2008 से 09/ 2009	1896000	3%	56880	1%	18960	75840
	108	06/ 2006 से 09/ 2010	9567600	4%	382704	1%	95676	478380
जि.अ.नि. धनबाद	247	04/2007 से 02/2011	29942400	4%	1197696	1%	299424	1497120
जि.अ.नि. देवघर	65	05/2007 से 03/2011	5653128	4%	226125.12	1%	56531.28	282656.4
जि.अ.नि. जमशेदपुर	4	12/2008 से 11/2009	349200	3%	10476	1%	3492	13968
	177	04/2007 से 11/2010	27775200	4%	1111008	1%	277752	1388760
	2	10/2011	384000	4%	15360	3%	11520	26880
कुल	**858**		**113003928**		**4490061.1**		**1137719.3**	**5627780.4**

ब. विद्युत पर कर एवं शुल्क

6.9 कर प्रशासन

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बि.वि.शु.अधिनियम) एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियमों (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) प्रावधानों के अंतर्गत वाणिज्य कर विभाग विद्युत शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी हैं। विभाग में अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन हेतु सचिव-सह आयुक्त, वाणिज्यकर उत्तरदायी हैं। मुख्यालय में उनके सहायता हेतु एक अपर आयुक्त, तीन संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यकर (सं.आ.वा.क.) तीन वाणिज्यकर उपायुक्त (उ.वा.क.) एवं दो सहायक आयुक्त वाणिज्यकर (स.आ.वा.क.) होते हैं। राज्य पाँच वाणिज्यकर प्रमण्डलों[7] प्रत्येक के प्रभारी वा.क.सं.आ. (प्रशासन) एवं 28 अंचलों, प्रत्येक के प्रभार वाणिज्यकर उ.वा.क./स.आ.वा.क. में विभाजित है। उ.वा.क./स.आ.वा.क. के सहयोग हेतु वाणिज्यकर पदाधिकारी हैं, जो विद्युत शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण हेतु उत्तरदायी है।

6.10 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

2007-08 से 2011-12 के दौरान संशोधित बजट अनुमान एवं विद्युत शुल्क से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों के साथ उसी अवधि में कर की कुल प्राप्तियों को निम्न तालिका एवं ग्राफ में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	विचरण वृद्धि (+)/ कमी (-)	विचरण का प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता
2007-08	68.10	76.47	(+) 8.37	(+) 12.29	3,473.55	2.20
2008-09	74.00	43.47	(-) 30.53	(-) 41.26	3,753.21	1.16
2009-10	52.49	46.87	(-) 5.62	(-) 10.71	4,500.12	1.04
2010-11	53.56	53.50	(-) 0.06	(-) 0.11	5,716.63	0.94
2011-12	100.00	72.76	(-) 27.24	(-) 27.24	6,953.89	1.05

स्त्रोतः झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं 2012-13 के राजस्व एवं प्राप्तियों के विवरणियों के अनुसार संशोधित अनुमान।

[7] धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, राँची एवं संथाल परगना।

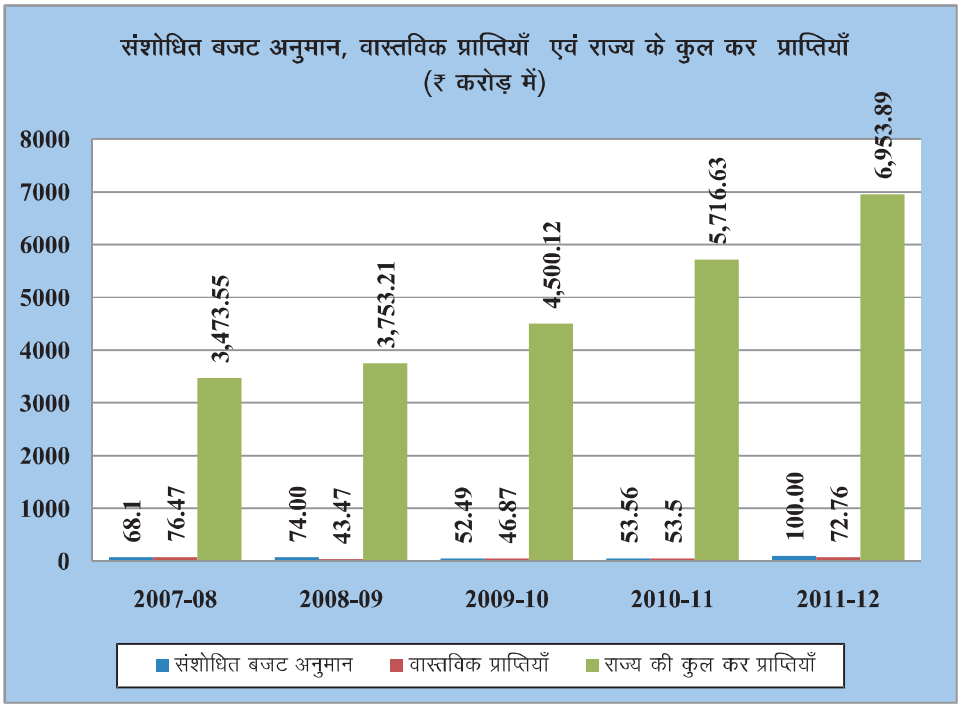

2011-12 मे संशोधित अनुमान विगत तीन वर्षों के वास्तविक प्राप्तियों के औसत की तुलना में 109 प्रतिशत अधिक था तथापि, विभाग ने (अगस्त 2012) संशोधित अनुमान में वृद्धि का कारण जून 2011 से विद्युत शुल्क की दर में वृद्धि होना बताया।

6.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011-12 में विद्युत शुल्क से सबंधित अभिलेखों की हमारी नमूना जाँच से 10 मामलों में ₹ 6.72 करोड़ के शुल्क/कर के नहीं/कम आरोपण का पता चला जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	विद्युत शुल्क का कम आरोपण	6	2.94
2	अधिभार का नहीं/कम आरोपण	4	3.78
कुल		**10**	**6.72**

वर्ष के दौरान विभाग ने ₹ 1.99 करोड़ के चार मामलें जो शुल्क के नहीं/कम आरोपण, अधिभार पर गलत छूट आदि जिसमें से ₹ 1.83 करोड़ के तीन मामले 2011-12 एवं शेष एक मामला वर्ष 2010-11 का है, को स्वीकार किया।

इस अध्याय में हम ₹ 1.99 करोड़ के वसूलनीय वित्तीय प्रभावों के कुछ दृष्टान्तस्वरूप मामले प्रस्तुत करते है जिसकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

6.12 अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं करना

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 एवं उसके अधीन बनाये गये नियम (यथा झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) प्रावधान करता है कि विद्युत शुल्क एवं अधिभार का भुगतान निर्धारित दर से करना है।

हमने पाया कि वाणिज्यकर विभाग ने अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया ऐसे मामले अनुवर्ती कंडिका में वर्णित है।

6.13 विद्युत शुल्क का कम लगाया जाना

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत, सभी स्थलों में खनन प्रयोजनों के लिए विद्युत शुल्क की दर उर्जा की बिक्री या उपयोग में जहाँ कुल भार 100 ब्रिटिश अश्व शक्ति से अधिक है, 15 पैसे प्रति इकाई होगी। औद्योगिक प्रयोजनों के लिए विद्युत उर्जा की बिक्री पर दो पैसे प्रति इकाई की दर से शुल्क आरोप्य है। न्यायिक निर्णयानुसार* खनन प्रक्रिया का अन्त तभी होता है जब खान से उत्खनित अयस्क को साफकर, सजा कर खान प्रक्षेत्र में राशिकृत कर दिया जाता है।

* चुगले एण्ड कम्पनी बनाम भारत सरकार (1981) 47 एस.टी.सी. 124 एस.सी.।

झरिया वाणिज्यकर अंचल में निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच में हमने देखा (सितम्बर 2011) कि तीन निर्धारितियों ने वर्ष 2002-03 और 2009-10 के अवधि के दौरान विद्युत उर्जा की 14.05 करोड़ इकाईयों का उपयोग खनन प्रक्रिया में किया। इस प्रकार विद्युत शुल्क 15 पैसे प्रति इकाई की दर से आरोपित होना था। कर निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) ने मार्च 2007 और अगस्त 2010 के मध्य कर निर्धारण सम्पन्न करते समय गलती से औद्योगिक उपयोग मानते हुए दो पैसा प्रति इकाई की दर से शुल्क का आरोपण किया। इसके फलस्वरूप ₹ 1.83 करोड़ विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को बताये जाने पर (मई 2012), विभाग/सरकार ने अवलोकनों को स्वीकार किया और कहा (सितम्बर 2012) कि दो निर्धारितियों के विरूद्ध ₹ 1.40 करोड़ की अतिरिक्त माँग का सृजन किया गया हैं जबकि तीसरे मामले में सुनवाई हेतु सूचना निर्गत किया गया था। तथापि, वसूली की सूचना वांछित है (फरवरी 2013)।

6.14 अधिभार पर गलत छूट

बि.वि.शु. अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियम, झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत, यह प्रावधान करता है कि निर्धारिती द्वारा भुगतान किये जाने वाले शुल्क को एक निर्धारित जो विहित सीमान्तर्गत देय शुल्क जमा करता है तो भुगतेय शुल्क के एक प्रतिशत की दर से छूट स्वीकृत किया जायेगा। बि.वि.शु. अधिनियम के धारा 3 अ के अनुसार अधिभार पर छूट अनुमत नहीं है।

हमने जमशेदपुर वाणिज्यकर शहरी अंचल के एक निर्धारिती के निर्धारण आदेश की जाँच के दौरान पाया (अगस्त 2010) कि नि.प्रा. ने वर्ष 2004-05 से 2007-08 की अवधि के निर्धारण को फरवरी 2010 और जुलाई 2010 के बीच सम्पन्न करते समय अधिभार के ₹ 16.33 करोड़ राशि पर गलती से एक प्रतिशत छूट की स्वीकृति दी, जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था। अधिभार पर छूट की गलत अनुमति देने के फलस्वरूप ₹ 16.33 लाख विद्युत शुल्क का अवनिर्धारण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को बताये जाने पर (मई 2012) सरकार ने कहा (सितम्बर 2012) कि ₹16.33 लाख की अतिरिक्त माँग का सृजन किया गया है। तथापि, वसूली की सूचना वांछित है (फरवरी 2013)।